कार्यालय नियंत्रक, नाप तौल, म.प्र. भोपाल

क्रमांक 1274/नातौ/अ–3/अनु./2004, भोपाल दिनांक 17.3.2004

आदेश

मै एस.के. उपाध्याय, नियंत्रक, नाप तौल म.प्र. अनुज्ञप्ति की शर्त (द) के तहत कार्यालयीन आदेश क्रं. 21928/नातौ/अ–2/अनु./78 दिनांक 18.11.78 में सुधारक अनुज्ञप्ति धारियो के लिये सुधार कार्य को चिन्हांकित करने के संबंध में कार्यालयीन परिपत्र क्रं. 27/78 के पृष्ट क्रमांक 3 की कंडिका (स) के सरल क्रं. 4 पर जारी निर्देशों में निम्नानुसार संशोधन करता हूँ, जो तत्काल प्रभाव से प्रभावशील माने जावेंगे और प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी उसका पूर्णरूप से पालन करेगा :–

संशोधन :–

1. पूर्व में विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन कड़ाई से किया जावे।
2. निर्धारित माप दण्डों के अनुसार लोहा बॉटों का शत प्रतिशत पुराना शीशा निकाल कर नया शीशा गलाकर डाला जावें।
3. लोहा बॉटों पर प्रायमर या काला पेंट अवश्य किया जावे।
4. बुलियन या पीतल बॉटों की भी सफाई करें। शीशा बिंदु क्रं. 2 की विधि अनुसार ही डालें।
5. ए.बी. एवं सी. श्रेणी तुलाओं के सेन्टर पाइंट, नाईफ एजेंसी झूलाडक आदि चैक करें। आवश्यक हो तो निश्चित रूप से बदलें। साथ ही उनके रंग रोगन का ध्यान रखें।
6. उक्त सभी तुलाओं का शत प्रतिशत सत्यापन/परीक्षण विभिन्न क्षमताओं पर उनकी क्षमतानुसार करें। इसके लिए प्रत्येक सुधारक के पास परीक्षण उपकरण उच्च यथार्थत वाले आवश्यक रूप से हों।
7. डिपींग एवं कोनीक्ल माप भी साफ किये जाकर शतप्रतिशत पानी अथवा अन्य द्रव से सत्यापन करें।
8. कोनीकल मापों के लिये निर्धारिक लैड प्लग आदि बदलें।
9. लम्कार्म मीटर के दोनों लैंड प्लग बदल कर ही मुद्रांकन करायें।
10. सत्यापन एवं परीक्षण कार्य सुधारक स्वयं की स्थापित एवं विभाग द्वारा अनुमोदित प्रयोगशाला (वर्कशाप) में ही सम्पन्न करें। प्रयोगशाला आधुनिक उपकरणों एवं औजारों से सुसज्जित होना चाहिए।
11. टैक्सीमीटर तथा इलेक्ट्रानिक बेलेन्सेस के सुधारकों की प्रयोगशाला भी आधुनिक होना चाहिए। उनका परीक्षण पूर्णतः वैज्ञानिक होना चाहिए।

उपरोक्त निर्देशों का पालन न किये जाने पर अनुज्ञप्ति को कंडिका–4 के अनुसार निरस्त किया जावेगा।

नियंत्रक
नाप तौल, म.प्र. भोपाल

पृ.क्रं. 1275 / नातौ / अनु. / 04, भोपाल दिनांक 17.3.2004

प्रतिलिपि :–

1. समस्त उप / सहायक नियंत्रक, नाप तौल, म.प्र. की ओर सूचनार्थ। उन्हें निर्देशित किया जाता है कि आगामी अनुज्ञप्तियों के नवीनीकरण प्रकरण उपरोक्त आदेशों के प्रावधान के अनुसार टीप देकर प्रस्तुत किये जावेंगे। निरीक्षण के समय यदि किसी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बिंदु क्रं. 1 से 11 में दिये गये निर्देशों की अवहेलना की जाना पाई जावे तो उसकी पूर्ण रिपोर्ट इस कार्यालय को भेजी जावें। साथ ही नवीन अनुज्ञप्ति के प्रकरणों के संबंध में यह निर्देश दिये जाते है कि विशेष नाप तौल उपकरणो के लिये अभियंत्रिकी के डिप्लोमाधारियों या आई.टी.आई. प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों को ज्यादा से ज्यादा अनुज्ञप्ति हेतु प्रोत्साहित करें। पेट्रोलियम संस्थानों के मेकेनिक अथवा कान्ट्रेक्टर्स को डिस्पेंसिंग पम्पों का कार्य करने के लिये विभाग की अनुज्ञप्ति लेना अनिवार्य होगाी अतः तद्नुसार प्रस्ताव भिजवाने का ध्यान रखें।
2. समस्त निरीक्षक नाप तौल म.प्र. की ओर सूचनार्थ। उन्हें निर्देश दिये जा रहे है कि वे अपने क्षेत्र के समस्त अनुज्ञप्तिधारियों का ध्यान रखें तथा यह देखें की आदेशों का यथावत पालन होता है या नहीं। यदि कोई अनुज्ञप्तिधारी आदेशों की अवहेलना कर पाया जावे तो पूर्ण विवरण सहित रिपोर्ट उप / सहायक नियंत्रक के माध्यम से तुरंत भिजवाये जाने का ध्यान रखें। आगामी समस्त नवीनीकरण प्रकरणों को उक्त निर्देशों के अनुसार उचित स्पष्ट अनुशंसा के आधार पर भिजवाये जावेंगे। समस्त अनुज्ञप्ति धारियों को उपरोक्त जारी निर्देशों की प्रति आवश्यक रूप से उपलब्ध करावें।

नियंत्रक
नाप तौल, म.प्र. भोपाल